THROUGH WEBSITE ONLY

मुख्यालय / Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011- 23234336, VOIP-10011117
Email: jd-f2@esic.nic.in,
Website: www.esic.gov.in

NO. F-23/13/Specified Branch/04/A/cs-II | Dated: 21st March, 2025

MEMORANDUM

Subject: Review of cash balance of Account No. 1 & 2 as on 31.03.2025 and to transfer the unutilized amount into ESI Account No. 1 (Central).

As the Financial Year 2024-25 will close on 31st March 2025, it is imperative to maintain the required minimum balance in all ESI accounts to prevent audit objections. Kindly ensure that the following instructions are adhered to:

1. **Salary, Pension, and Benefit Payments: The fixed monthly limits for March 2025 salary, pension, and benefit payments will not be transferred in March. Hence, all fund requests for intermittent expenditures must be raised by 27th March 2025, no later than 11:00 AM to ensure timely processing of payments and avoid any pending liabilities.**

2. **Transfer of Unutilized Funds: Any unutilized funds in Account No. 2 (including Branch Office, HDC-R&M, or other accounts) must be transferred to ESI A/c No. 1 (Central) after ensuring the required minimum balance is maintained in each account, by the end of working hours on 27th March 2025.**

3. **Fund Requests after 27th March 2025: Any fund requests raised on 28th March 2025 will not be entertained unless specifically approved by the competent authority.**

4. **March 2025 Fixed Monthly Limit: The fixed monthly limit for March 2025 will be automatically transferred on 2nd April 2025.**

Please ensure strict adherence to these instructions to ensure smooth closure of the financial year and avoid audit-related issues.

This issue with approval of the Financial Commissioner.

(ASHISH SHANKAR)
JT. DIRECTOR (FIN.)

To

The Director (Fin.)/Jt. Director (Fin.)/Dy. Director (Fin.)/ AD (Fin.)
E.S.I. Corporation,
NTA/R.O./S.R.O./Hospitals/O.D.Cs/Hqrs.

CC:

- The IC, NTA/ A.C. & R.D, Regional Director/Joint Director (I/c)/DD(I/c) Medical Superintendent, Director (Medical) Delhi/Noida, Director (Fin.), Hqrs. Regional Offices/SROs/Hospitals
- Website Content Manager to upload the same on ESIC website.

THROUGH WEBSITE ONLY

मुख्यालय / Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011- 23234336, VOIP-10011117
Email: jd-f2@esic.nic.in,
Website: www.esic.gov.in / www.esic.gov.in

संख्या : एफ-23/13/विनिर्दिष्ट शाखा/04/लेखा-II

दिनांक : 21 मार्च, 2025

ज्ञापन

विषय : दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति अनुसार खाता सं. 1 तथा 2 के नकदी शेष की समीक्षा कर अनुपयोगी राशि को खाता सं. 1 (केंद्रीय) में जमा करना।

वित्तीय वर्ष 2024-25, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए सभी ईएसआई खाता में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि ऑडिट आपत्तियों से बचा जा सके। इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

1. **वेतन, पेंशन और लाभ भुगतान**: मार्च, 2025 के वेतन, पेंशन और लाभ भुगतान के लिए निर्धारित मासिक सीमा मार्च माह में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसलिए, सभी अस्थायी खर्चों के लिए राशी की मांग 27 मार्च, को प्रातः 11.00 बजे से पहले किया जाना चाहिए ताकि समय पर भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके और कोई भी लंबित देनदारियाँ न रहें।
2. **अप्रयुक्त धन का हस्तांतरण**: खाता संख्या-2 (जिसमें शाखा कार्यालय,HDC-R&M या अन्य खाते शामिल हैं) में अप्रयुक्त धन को 27 मार्च 2025 तक प्रत्येक खाते में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाये रखते हुए, ई.एस.आई खाता संख्या-1 (केन्द्रीय) में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
3. **27 मार्च 2025 के बाद धन अनुरोध**: 28 मार्च 2025 को उठाए गए किसी भी धन अनुरोध को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रुप से अनुमोदित किए जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
4. **मार्च 2025 की निर्धारित मासिक सीमा:** मार्च 2025 की निर्धारित मासिक सीमा दिनांक 2 अप्रैल 2025 के स्वतः हस्तांतरित की जाएगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय वर्ष का समापन सुचारु रुप से हो सके और ऑडिट संबंधित समस्याओं से बचा जा सके।

यह पत्र वितिय आयुक्त की स्वीकृति से जारी किया गया है।

आशीष

(आशीष शांकर)
संयुक्त निदेशक (वित्त)

सेवा में,

सभी निदेशक (वित्त)/संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/सहायक निदेशक(वित्त)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम एन.टी.ए.,क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पताल/व्यावसायिक रोग केंद्र/मुख्यालय।

प्रतिलिपि :

- बीमा आयुक्त(एन.टी.ए.),क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/ उप. निदेशक(प्रभारी)/ निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोयडा,चिकित्सा अधीक्षक।
  क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/आदर्श अस्पताल।
- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।